दिनांक 17.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 481/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अयोध्या/थाना पूराकलंदर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.09.2026 को थाना पूराकलंदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजयभान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना पूराकलंदर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पूराकलंदर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजयभान निवासी ग्राम कन्दैला थाना पूराकलंदर जनपद अयोध्या।

कमिश्नरेट आगरा/थाना खेरागढ़

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 55 किलोग्राम एल्युमिनियम तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.09.2026 को थाना खेरागढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिलावली मोड़ के पास, बुरहरा जाने वाली सड़क से 03 अभियुक्तों 1–संदीप 2–सचिन 3–हुकमचन्द उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 80 हजार

रूपये नगद, चोरी के 55 किलोग्राम एल्युमिनियम तार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.09.2026 की रात्रि थाना खेरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेरागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना खेरागढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी वार्ड नं0–44 कस्बा व थाना कोटपुतली जनपद कोटपुतली बहरोड़ राजस्थान।

2–सचिन निवासी वार्ड नं0–44 कस्बा व थाना कोटपुतली जनपद कोटपुतली बहरोड़ राजस्थान।

3–हुकमचन्द उर्फ गोलू निवासी वार्ड नं0–44 कस्बा व थाना कोटपुतली जनपद कोटपुतली बहरोड़ राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के 55 किलोग्राम एल्युमिनियम तार।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सरोजनीनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.09.2026 को थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–योगेन्द्र कुमार उर्फ विक्की 2–शिवम कुमार 3–बासुदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त योगेन्द्र कुमार उर्फ विक्की शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद उन्नाव, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सरोजनीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—योगेन्द्र कुमार उर्फ विक्की निवासी ढरसवा थाना असोहा जनपद उन्नाव, हालपता दरोगाखेडा थाना सरोजनीनगर कमिश्नरेट लखनऊ।

2—शिवम कुमार निवासी धकवा जगदीशपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव।

3—बासुदेव निवासी भटपुरा थाना अजगैन जनपद उन्नाव, हालपता विजयनगर थाना कृष्णानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 215 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद**

दिनांक 17.09.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पॉलिटेक्निक कॉलेज मेहड़ा पुरवा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त दल्लाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 215 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दल्लाराम निवासी बायतू भीमजी थाना बायतू जनपद बाड़मेर राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये कीमत के 215 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक।

- **जनपद सहारनपुर/थाना नागल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नागल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जैनेन्द्र को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना विभूतिखण्ड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 व 366/376 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0तालिब को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————